न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बामनवास
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
41/2024	27.6.2024	21-3-2025

1. उगन्ती देवी पत्नी बनवारीलाल, मीना निवासी कुण्डली तहसील बामनवास
2. अभय कुमार पुत्र बनवारीलाल, मीना निवासी कुण्डली तहसील बामनवास
3. सचिन कुमार पुत्र बनवारीलाल, मीना निवासी कुण्डली तहसील बामनवास
4. निरमा पुत्री बनवारीलाल, मीना निवासी कुण्डली तहसील बामनवास

—प्रार्थीगण

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार बामनवास —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :— श्री ब्रह्मानन्द मीना, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम कुण्डली तहसील बामनवास में प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व सहखातेदारी की भूमि खाता संख्या 100 ख0नं0 149, 332, 354, 357, 466, 530/331, 532/333, 534/340, 536/359, 538/468, 540/469 कुल किता 11 कुल रकबा 2.41 है0, खाता संख्या 108 ख0नं0 175, 207, 421/186 कुल किता 3 कुल रकबा 0.77 है0 ग्राम किशनपुर में प्रार्थीगण का हिस्सा अनुसार रिकार्ड जमाबंदी अनुसार संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम कुण्डली व किशनपुर में स्थित है। जिसे प्रार्थीगण वहैसियत सहखातेदार काश्त कर लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे हैं। राजस्व रिकार्ड में सहखातेदार प्रार्थी सं0 1उगन्ती देवी पत्नी बनवारीलाल का राजस्व रिकार्ड में रामनरी पत्नी स्व0 बनवारीलाल दर्ज हो रहा है जबकि उगन्ती देवी उर्फ रामनरी उर्फ उगन्ती एक ही महिला है। प्रार्थी सं0 1 रामनरी उर्फ उगन्ती का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ कर उगन्ती देवी अंकित किया जावे । राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी सं0 1 की सहखातेदारी रामनरी पत्नी बनवारीलाल व उगन्ती पत्नी बनवारीलाल के नाम से चली आ रही है। प्रार्थी सं0 1 को राजस्व रिकार्ड में हो रही गलती की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। प्रार्थी सं0 1 ने दिनांक 27.5.2024 को के0सी0सी0 बनवाने हेतु हलका पटवारी से कहा तो हलका पटवारी द्वारा उक्त तथ्य बताने पर जानकारी हुई। जिस पर प्रार्थी सं0 1 ने जमाबंदी नकल प्राप्त की तब तहसीलदार बामनवास से उक्त दुरूस्ती करने हेतु निवेदन किया तो तहसीलदार जी ने दुरूस्ती करने से इन्कार कर दिया तथा सक्षम न्यायालय से आदेश लाने हेतु कहा। प्रार्थी संख्या 1 के असल दस्तावेज राशन कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं अन्य राजस्व खाता में उगन्ती देवी पत्नी

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

बनवारीलाल के नाम से दर्ज है इसलिए प्रार्थी संख्या 1 का राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में शुद्धिकरण कराने का विधिक अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम कुण्डली तहसील बामनवास में प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व सहखातेदारी की भूमि खाता संख्या 100 ख0नं0 149, 332, 354, 357, 466, 530/331, 532/333, 534/340, 536/359, 538/468, 540/469 कुल किता 11 कुल रकबा 2.41 है0, खाता संख्या 108 ख0नं0 175, 207, 421/186 कुल किता 3 कुल रकबा 0.77 है0 ग्राम किशनपुर में प्रार्थी सं0 1 रामनरी पत्नी बनवारीलाल, उगन्ती पत्नी बनवारीलाल का नाम हजफ फनरमाया जाकर उसके स्थान पर उगन्ती देवी पत्नी बनवारीलाल का नाम दर्ज किया जावे एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण किया जावे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2074 से 2077 खाता संख्या 100 ग्राम कुण्डली, नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 108 ग्राम किशनपुर, नकल जमाबंदी सं0 2074 से 2077 खाता सं0 31 ग्राम कादीपुरा, नकल नामान्तरकरण संख्या 218 दि0 24.5.17 ग्राम कुण्डली, फोटोकोपी जनाधार कार्ड उगन्ती देवी, फोटोकोपी आधार कार्ड उगन्ती देवी, फोटोकोपी राशनकार्ड उगन्ती देवी, फोटोकोपी बैंक खाता पासबुक उगन्ती देवी प्रस्तुत किए हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया एवं अप्रार्थी से जबाब चाहा गया।

अप्रार्थी ने अपने जबाब में अंकित किया है कि जमाबंदी सं0 2074 से 2077 ग्राम कुण्डली खाता सं0 100 पर खातेदार रामनरी पत्नी स्व0 बनवारी लाल हि0 1/4 जाति मीना सा0 ग्राम खातेदारदर्ज है। इसी प्रकार ग्राम किशनपुर की जमाबंदी खाता सं0 108 पर खातेदार उगन्ती पत्नी बनवारीलाल हि0 1/4 सा0 कुण्डली खातेदार दर्ज है। बनवारी के फौत होने पर ग्राम कुण्डली के नामा0 सं0 218 दि0 23.5.17 को दर्ज की गई थी जिसमें बेवा रामनरी पत्नी स्व0 बनवारीलाल के नाम दर्ज किया गया तथा ग्राम किशनपुर की नामा0सं0 264 दि0 21.8.17 को दर्ज की गई थी जिसमें बेवा उगन्ती पत्नी स्व0 बनवारीलाल दर्ज हो गया। पटवारी हलका की जांच रिपोर्ट के अनुसार रामनरी पत्नी स्व0 बनवारीलाल तथा उगन्ती पत्नी स्व0 बनवारीलाल एक ही महिला है। दो अलग अलग ग्रामो में अलग अलग नामा0 दर्ज होने से सहवन से दोनों नामान्तरकरणो में अलग अलग नाम दर्ज हो गया। भूमि विरासत से प्राप्त हुई है। शुद्ध किया जाना उचित है।

जबाब के साथ तहसीलदार बामनवास ने पटवारी हलका की मूल रिपोर्ट, नकल जमाबंदी सं0 2074 से 2077 खाता संख्या 100 ग्राम कुण्डली, नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 108 ग्राम किशनपुर, नकल

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

नामान्तरकरण संख्या 218 दि0 24.5.17 ग्राम कुण्डली, नकल नामान्तरकरण संख्या 764 दिनांक 7.9.2017 ग्राम किशनपुर प्रस्तुत किए हैं।

बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 100 ग्राम कुण्डली में प्रार्थी संख्या 1 का नाम रामनरी अंकित है, नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 108 ग्राम किशनपुर में प्रार्थी सं0 1 का नाम उगन्ती दर्ज है। प्रार्थी संख्या 1 की ओर से ग्राम कादीपुरा की जो नकल जमाबंदी सं0 2074 से 2077 खाता संख्या 31 प्रस्तुत की गई है उसमें प्रार्थी सं0 1 का नाम उगन्ती देवी दर्ज है। प्रार्थी सं0 1 इसी अनुसार ग्राम कुण्डलीव ग्राम किशनपुरा की जमाबंदी में अपना नाम दुरूस्त कराना चाहती है। तहसीलदार बामनवास से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भी दो अलग अलग ग्रामों में नामान्तरकरण विरासत दर्ज होने की वजह से प्रार्थी सं0 1 का नाम अलग अलग दर्ज हो गया है। रामनरी व उगन्ती एक ही महिला है। इस प्रकार प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की पुष्टि तहसीलदार बामनवास की रिपोर्ट से होती है। फलस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम कुण्डली की जमाबंदी सं0 2074 से 2077 के खाता संख्या 100 में दर्ज खातेदार का नाम रामनरी के स्थान पर उगन्ती देवी एवं ग्राम किशनपुर की जमाबंदी सं0 2073 से 2076 के खाता संख्या 108 में दर्ज खातेदार का नाम उगन्ती के स्थान पर उगन्ती देवी दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त वर्णित दोनों खातो में इसी अनुसार नाम की दुरूस्ती की जावे। खातो में दर्ज शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार लैण्ड होल्डर बामनवास को पालनार्थ भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.3.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
बामनवास

Scanned with CamScanner